न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 24/2018

अपीलान्ट

1. प्रकाश पुत्र श्री बोदुरामजी
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री बोदुरामजी
3. कालुराम पुत्र श्री मांगीलालजी
4. पाचुराम पुत्र श्री मांगीलालजी
5. भैरूराम पुत्र श्री भंवरलालजी
6. जयराम पुत्र श्री भवंरलालजी तमाम जातिगण माली, निवासीगण चौहानो की ढाणी रास, तहसील जैतारण, जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. दामोदरदास पुत्र श्री सुगनदासजी, जाति साद,
2. राधेश्याम पुत्र श्री मांगीलालजी, जाति माली
3. गोपाललाल पुत्र श्री बंशीलालजी, जाति सोनी
4. ज्ञानसिंह पुत्र श्री जवासिंहजी, जाति रावत, निवासी मानुपरा, जिला अजमेर हाल निवासी रास, तहसील जैतारण जिला पाली
5. इन्द्रादेवी पत्नी श्री ओमप्रकाश जी, जाति सोनी निवासी रास, तहसील जैतारण जिला पाली
6. गोमसिंह पुत्र श्री धन्नेसिंहजी, जाति रावत, निवासी थोथीफुल सागर
7. सज्जनलाल पुत्र श्री बाबूलालजी, जाति सोनी
8. चैनाराम पुत्र श्री बींजारामजी, जाति माली
9. बाबूलाल पुत्र गोपालरामजी टांक निवासीगण रास, तहसील जैतारण जिला पाली।
10. गोपालराम पुत्र कन्हैयालालजी, जाति ब्राहम्ण निवासी लोटोती, तहसील जैतारण जिला पाली।
11. कवराई देवी पत्नी श्री सुगनचंदजी, जाति सुथार, निवासी रास, तहसील जैतारण, जिला पाली।
12. दुर्गाराम पुत्र प्रभुरामजी, जाति माली, निवासी सांखलो की ढाणी, रास, तहसील जैतारण, जिला पाली।
13. गुलाबदेवी उर्फ गुल्लुदेवी पत्नी श्री श्यामसिहजी, जाति राजपुरोहित, निवासी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पालियावास

14. गोपाल पर्वत पुत्र श्री पुना पर्वत जाति गोस्वामी निवासी निवासी रास, तहसील जैतारण, जिला पाली
15. करणसिंह पुत्र श्री जब्बरिंसहजी जाति राजपुरोहित निवासी रास, तहसील जैतारण, जिला पाली।
16. जगदीश चन्द्र पुत्र श्री सुगनचंदजी, जाति सोनी,
17. सवाराम पुत्र श्री कैलाशचंदजी डाकोर
18. स्वरूपराम पुत्र रामपालजी
19. लालचंद पुत्र श्री रामपालजी
20. संतोष पुत्र श्री रामपालजी, जातिगण ब्रहमण निवासीगण रास, तहसील जैतारण जिला पाली
21. श्रीमति शारदा पत्नी श्री कालुजी, जाति माली
22. राकेश मुंदडा पुत्र श्री शिवप्रसादजी मुदडा, जाति माहेश्वरी
23. छोटीदेवी पत्नी श्री मांगीलालजी, जाति माली
24. सुनील कुमार पुत्र श्री गणपतलालजी जाति ब्राहमण, निवासीगण रास, तहसील जैतारण जिला पाली।
25. शंकरकंवर पत्नी श्री फेटुसिंहजी, निवासी बाबरा, तहसील जैतारण जिला पाली।
26. गंगादेवी पत्नी श्री गुदडरामजी जाति माली
27. चम्पालाल पुत्र श्री मांगीलालजी जाति माली
28. गीता पत्नी श्री घनश्यामजी जाति माली
29. सोहनसिंह पुत्र श्री बस्तीरामजी, जाति माली
30. राजकंवर पत्नी श्री शैतानसिंहजी जाति रावणा राजपूत
31. प्रेमकंवर पत्नी श्री सुमेरसिंहजी, जाति रावणा राजपूत
32. योगेन्द्रसिंह पुत्र श्री रतनसिंहजी
33. शेलेन्द्रसिंह पुत्र श्री रतनसिंहजी
34. कालीका कंवर पुत्री श्री रतनसिंह
35. संतोष कंवर पत्नी श्री रतनसिंहजी ,जातिगण रावणा राजपूत, निवासीगण रास, तहसील जैतारण, जिला पाली
36. सागरमल पुत्र श्री मोहनरामजी, जाति सुथार
37. सुशीला पत्नी श्री हीरालालजी जाति ब्राहमण
38. करणसिंह पुत्र श्री जब्बरसिहजी जाति राजपुरोहित
39. कमलादेवी पत्नी श्री उम्मेदारामजी, जाति सरगरा,
40. पारसमल भाटी पुत्र श्री भोलारामजी भाटी, जाति भाटी तमाम निवासीगण रास, तहसील जैतारण, जिला पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

41. पुखराज पुत्र श्री मांगीलालजी
42. सुरेन्द्र पुत्र श्री मांगीलालजी
43. रामेदव पुत्र श्री मिश्रीलालजी, जाति माली
44. बद्रीलाल पुत्र श्री मोतीलालजी जाति माली
45. बगदुराम पुत्र श्री देवारामजी जाति माली
46. सुशीला देवी पत्नी श्री हीरालालजी जाति ब्राहमण
47. कमोदकंवर पत्नी श्री किशोरसिंहजी जाति राजपूत
48. पप्पूसिंह पुत्र श्री किशोरसिंहजी जाति राजपूत
49. श्रीकिशन पुत्र सम्पतराजी जाति गौणा ब्राहमण
50. विजयसिंह पुत्र श्री तेजसिंहजी, जाति राजपुरोहित
51. सुरेन्द्रसिंह पुत्र निहालसिंहजी जाति राजपुरोहित
52. सविता पत्नी श्री मेघराजी जाति वैष्णव
53. सोहननाथ पुत्र श्री गुलाबनाथजी, जाति कालबेलिया
54. हनुमान पुत्र श्री घीसारामजी, जाति कुमावत
55. नाथुराम पुत्र श्री गोपारामजी, जाति माली
56. प्रकाशचंद पुत्र श्री पुखराजजी, जाति माली तमाम निवासीगण निम्बावतो की ढाणी, रास, तहसील जैतारण, जिला पाली।
57. राजस्थान जरिये तहसीलदार जैतारण, जिला पाली
58. हल्का पटवारी रास, तहसील जैतारण, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी, विद्धान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री श्याम सिहं सोलंकी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 57 व 58 की ओर से
शेष रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

—: निर्णय :—

दिनांकः— 12/03/2020

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर जैतारण द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 226/2018 में पारित आदेश दिनांक 06.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित अभिवचन को दोहराते हुये मौखिक बहस की गई व यह निवेदन किया कि ग्राम रास के खसरा नम्बर 315 मुल की भूमि रकबा 53 बीघा 05 बिस्वा स्थित रही है। इसके बट्टा नम्बर 315/1, 315/2, 315/3, 315/4, 315/5, 315/6, 315/7, 315/8, 315/9 कायम हुये व खसरा संख्या 315 मीन कायम हुये। जो बट्टा नम्बर के अलावा खसरा संख्या 315 स्थित है, यह खसरा संख्या 315 अपीलान्ट का रकबा 28 बीघा 02 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। इस कृषि भूमि का व उपरोक्त तमाम खसरो की कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा नही हुआ है व उक्त कृषि भूमि का नक्शे में भी तरमीम नही किया गया है। पैमाईश नही होने के कारण कृषि भूमि बसामलाती है व सभी के अलग से हिस्से नही है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया कि खसरा संख्या 315/9 रकबा 06 बीघा कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से लगायत 21 द्वारा खरीद की गई तथा इसी प्रकार खसरा संख्या 315/8 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि मंजु कॅवर से रेस्पोडेन्ट संख्या 22 से लगायत 56 द्वारा खरीद की गई। उक्त सभी रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट की 04—05 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण करने हेतु आमादा है। तथा यह भी निवेदन किया की अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में खसरा संख्या 315/1 से लगायत 315/9 तक के खसरो के संबध में स्थगन आदेश दिये जाने की रिलिफ चाही गई थी, क्योकि अपीलान्ट की कृषि भूमि इन खसरो मे शामिल है। कृषि भूमि संयुक्त है, इस कारण से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे परन्तु इन खसरो के संबध में स्थगन आदेश जारी नही किया गया है। इस कारण अपील पेश की गई। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस में यह निवेदन किया की तहसीलदार जैतारण द्वारा दिनांक 24.03.2017 को मौका रिर्पोट तैयार की गई, इसमें अपीलान्ट के पास रकबा 24 बीघा भूमि ही मौके पर स्थित होना पाई गई। इस तरीके से अपीलान्ट की खातेदारी की कृषि भूमि मौके पर कम है। अपीलान्ट अधिवक्ता के द्वारा यह भी निवेदन किया की अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद बअनवान पारसमल बनाम राधेश्याम वाद संख्या 51/2016 श्रीमान सहायक कलेक्टर जैतारण से दिनांक 12.05.2016 को निर्णित हुआ व प्राथमिक डिक्री जारी की गई। इस वाद में खसरा संख्या 315/9 को खसरा संख्या 315/मीन दर्ज किया गया। इस प्राथमिक डिक्री के बाद पालना रिर्पोट

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बंटवारा की चाही गई, परन्तु दिनांक 07.07.2017 को अधिनस्थ न्यायालय में एक रिर्पोट तहसीलदार द्वारा पेश की गई कि प्लाट मौके पर होने के कारण डिक्री की पालना नही करवाई जा सकती। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा यह भी निवेदन किया कि अपील में वर्णित खसरान् की भूमि कृषि भूमि है व इस कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नही हुआ है व कृर्षि भूमि बिना संपरिवर्तन के अकृर्षि कार्य में प्रयोग किये जाने योग्य नही है। रेस्पोडेन्ट खरीददार व्यक्ति है तथा खरीददार बिना बंटवाडा करवाये विशिष्ट हिस्से व विशिष्ट लोकेशन पर कब्जा करने की स्थिति में नही है, नही निर्माण करने की अधिकारिता रेस्पोडेन्ट को है। तहसीलदार को रेस्पोडेन्ट के विरूद्व धारा 177 काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जानी चाहिये थी क्योंकि तहसीलदार स्वंय व हल्का पटवारी भी अधिनस्थ न्यायालय में वाद व प्रार्थना पत्र में पक्षकार है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा यह भी तर्क दिया की खसरा संख्या 315/9 व अन्य की भूमि में अपीलान्ट की भूमि शामिल कर प्लोट काट दिये तथा भूखण्ड संख्या 14 से 25 तक के जो भुखण्ड है, इन भुखण्डो की 12,801 वर्गफीट की भूमि शामिल कर अपीलान्ट की भूमि पर प्लोट काट दिये। रेस्पोडेन्ट की भूमि में अपीलान्ट की भूमि शामिल है। बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् बंटवाडा भी नही हुआ है, पत्थर गड्डी भी नही हुई है। क्रेता को कब्जा देने का किसी भी न्यायालय का कोई आदेश पारित नही हुआ। रेस्पोडेन्ट दामोदरदास द्वारा जो पंजियन बैचाण दिनांक 18.05.2018 को करवाया है, इसके साथ प्लान नक्शा भीं लगाया है, इसमें भुखण्डस् व रास्ते भी बताये है, जो अकृर्षि प्रयोर्जनाथ पंजियन बैचाण होना साबित है व नक्शा भी खरीद भूमि से अधिक होने का अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा तर्क दिया गया। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस की ओर न्यायालय का ध्यान आर्कषित करवाया की नक्शे में कई पर भी खसरे के बट्टा नम्बर दर्ज नही है। इस कारण लोकेशन किसी प्रकार से स्पष्ट नही है।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में यह भी तर्क दिया की खसरा संख्या 315/1 से लगायत 315/9 तक में अपीलान्ट की कृषि भूमि शामिल है। रेकर्ड में अपीलान्ट की खातेदारी की कृषि भूमि रकबा 28 बीघा 02 बिस्वा है, परन्तु मौके पर कम स्थित है। मौके पर निर्माण होने से व अधिक भूमि पर रेस्पोडेन्ट के काबिज़ हो जाने के बाद वाद का मकसद समाप्त हो जायेगा। बिना बंटवाडा करवाये अजनबी प्रवेश कर अकृषि कार्य कर देते है तो अपीलान्ट को अकथनीय हानि होगी। अधिवक्ता अपीलान्ट ने यह भी निवेदन किया की रेस्पोडेन्ट तहसीलदार व हल्का पटवारी से मिले हुये है, इस कारण मौके की स्थिति में परिवर्तन कर रहे है। अधिनस्थ न्यायालय को खसरा संख्या 315/1 से लगायत 315/9 बाबत् भी अंतरिम अस्थाई निशेधाज्ञा जारी की जानी चायिे थी, जो न कर विधि व तथ्य की भूल की है। खसरा संख्या 315 रकबा 28 बीघा 02 बिस्वा कृषि भूमि पर जो स्थगन आदेश पारित किया गया है, इस हद तक के संबध में आदेश को अपीलान्ट द्वारा चैलेन्ज नही किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

में यह भी निवेदन किया की अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब पेश करने तक अपीलान्ट की भूमि के संबध में आदेश पारित किया गया परन्तु खसरा संख्या 315/1 से लगायत 315/9 की कृषि भूमि के संबध में स्थगन आदेश पारित नही किया गया व उक्त आदेश अंतिम आदेश की परिभाषा में है व अपीलीय आदेश है व जो अपील पेश की गई है यह विधि के अनुसार है व अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जावे। खसरा संख्या 315/1 से लगायत 315/9 तक के संबधित निर्माण नही करने व मौके की स्थिति में परिवर्तन नही करने बाबत् आदेश फरमावे तथा अधीनस्थ न्यायालय में अग्रिम कार्यवाही नही हो तब तक अपीलीय आदेश दिनांक 08.06.2018 का प्रभाव कायम रखा

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कि ओर से अपनी बहस में यह निवेदन किया की अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अंतरिम आदेश है व अपील योग्य आदेश नही है व यह भी तर्क दिया की खसरा संख्या 315/1 से लगायत 315/9 तक के खसरान् की भूमि अपीलान्ट की खातेदारी की नही है। अपीलान्ट का खाता व रेस्पोडेन्ट का खाता अलग है। स्थगन आदेश रेस्पोडेन्ट के विरूद्व विधि विरूद्व तरीके से जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा संख्या 315/1 से लगायत 315/9 के संबध में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी नही कर विधि के प्रावधानो के अनुसार आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय में जो प्राथमिक डिक्री जारी की गई है इसमें अपीलान्ट पक्षकार नही है, इस बाबत् उज्र लेने का अधिकार नही रखता है। रेस्पोडेन्ट द्वारा भूमि खरीद की गई व रेकर्ड में नाम दर्ज है। इस कारण अपील चलने योग्य नही है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील को मय हर्जा–खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षो की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया गया, अपील में वर्णित अभिवचन, अभिलेख में वर्णित दस्तावेज का अवलोकन किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा खसरा संख्या 315 का मुल रकबा 53 बीघा 05 बिस्वा होने का तर्क दिया व इसके बट्टा नम्बर 315, 315/1 से लगायत 315/9 तक के खसरे के बट्टा नम्बर कायम हुये के संबध में अपील में दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा खसरा संख्या 315 रकबा 28 बीघा 02 बिस्वा स्वय की होने के संबध में जमाबंदी पेश की व पत्रावली में उपलब्ध मौका रिर्पोट दिनांक 24.03.2017 की ओर हमारा ध्यान आर्कषित करवाया, इस मौका रिर्पोट के अनुसार अपीलान्ट के पास रकबा 24 बीघा भूमि होना दर्शाया गया है, यानि की रिर्पोट के अनुसार अपीलान्ट के पास 04 बीघा 02 बिस्वा भूमि कम है। उक्त भूमि किस बट्टा नम्बर खसरे मे शामिल है इसके संबध में रेस्पोडेन्ट द्वारा तथ्य को स्पष्ट नही किया है, नही इस बात की ताईद में कोई दस्तावेजी सबुत ही पेश किये की अपीलान्ट के पास पर्याप्त भूमि हो। पूर्व वाद संख्या 51/2016 की जो प्रारभिंक निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.2016 को पारित की गई इस निर्णय व डिक्री के संबध में पालना रिर्पोट बाबत् तहसीलदार को लिखा गया, तहसीलदार द्वारा दिनांक 07.07.2017 को भूमि पर पालना नही किये जाने के संबध में कारण दर्शाते हुये रिर्पोट पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

की व मौके पर निर्माण किये जाने के कारण पालना नही की जा सकी। खसरा संख्या 315/9 की भूमि जो रकबा 06 बीघा है, इसकी स्थिति स्पष्ट नही है, भूमि इस खसरे की कम हो, इस बाबत् भी कोई दस्तावेजी सबुत रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा पेश नही किये गये। अधिनस्थ न्यायालय में जो पूर्व वाद चला, इस वाद में वर्तमान अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15 , 16, 17, 23 पक्षकार है व प्राथमिक डिक्री की पालना नही हो रही है। रेस्पोडेन्ट द्वारा यदि निर्माण जारी रखा जाता है तो वाद का मकसद समाप्त हो जायेगा व विवाद बढेगे। इस कारण मौके की स्थिति में परिवर्तन नही किया जाना ही कानूनसम्मत है। अकृर्षि कार्य करने, निर्माण करने का अधिकार कृषि भूमि पर रेस्पोडेन्ट को बिना संपरिवर्तन करवाये नही रहता है। संपरिवर्तन करवाने के संबध में कोई दस्तावेजी सबुत पेश नही किये व इसके संबध में मौखिक बहस में भी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा नही बताया गया। खसरा संख्या 315 मूल तरमीम होकर अलग बट्टा नम्बर डाले गये हो, ऐसे भी पत्रावली में दस्तावेज उपलब्ध नही है। मूल खसरे के बट्टा नम्बर कब कायम हुये, किस आदेश से कायम हुये, ऐसी स्थिति भी पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नही है। क्रेता भी बिना बंटवाडा करवाये कब्जे में नही आ सकता ऐसी कानूनी उपधारणा है। पक्षकारो के बीच में भूमि में मौके की भौतिक स्थिति को लेकर विवाद है। रेस्पोडेन्ट मौके पर स्थिति परिवर्तन करने हेतु आमादा है जो पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है। यदि रेस्पोडेन्ट को निर्माण करने की स्वतन्त्रता रहती है तो वाद का मकसद समाप्त हो जायेगा व न्यायपूर्ण निर्णय नही होगा। अकृर्षि कार्य होने पर तहसीलदार स्वंय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही करने के लिये स्वतत्रं है परन्तु पत्रावली अवलोकन से ऐसी कार्यवाही हुई हो स्पष्ट नही है। हमारी विनम्र राय में खसरा संख्या 315 मूल रकबा 53 बीघा 15 बिस्वा बाबत् भौतिक स्थिति में मौके पर तथा रेवेन्यू रेकर्ड के नक्शे के अनुसार बंटवाडा होना जाहिर नही है। बंटवाडा हुआ या नही हुआ इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारो को सुनकर दस्तावेज प्राप्त कर निर्णित किया जाना है। इस स्थिति में यदि रेस्पोडेन्ट खसरा संख्या 315/1 से लगायत 315/9 तक की कृषि भूमि में मकान निर्माण कर देते है व अकृर्षि कार्य करते है तो वाद का अंतिम निस्तारण में असर पडेगा। नक्शे मे खसरा संख्या 315/1 से लगायत 315/9 तक के खसरान की भूमि ही तरमीम नही होने के कारण विवाद की स्थिति है व भूमि मौके पर अपीलान्ट की कम है। वाद की बहुलता व परिवर्तन की स्थिति को रोकने हेतु इन खसरान् के संबध में निर्णय किया जाना भी अधीनस्थ न्यायालय के लिये आवश्यक व न्यायोचित है। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी भूमि कम होने के संबध में स्थिति स्पष्ट नही की व निर्मित भूमि व पंजियन बैचाण के साथ नक्शे में वर्णित भूमि अधिक नही है, इस संबध में भी अपना तर्क नही दिया है। अधीनस्थ न्यायालय को खसरा संख्या 315/1 से लगायत 315/9 के संबध में भी स्थगन आदेश पारित किया जाना चाहिये था, जो कि नही किया जाकर अधीनस्थ द्वारा तथ्यात्मक व विधि के संबध में भूल की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा पेश कि गई अपील में अपीलान्ट द्वारा दस्तावेज व तर्को से में सहमत हुँ तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा संख्या 315/1 से लगायत 315/9 बाबत् स्थगन आदेश जारी नही कर अपीलान्ट के विरूद्व अंतिम आदेश पारित किया गया है। अत अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है। एवं ग्राम रास के खसरा संख्या 315/1 से लगायत 315/9 तक की खसरान् की भूमि पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाता है। खसरा संख्या 315 बाबत् अधिनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी की पैमाईश करवाने हेतु स्वतंत्र होगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12/03/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली